न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष — बालचंद कांशी ......बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष — दीपक ओहदार ..... बगैरह।

वाद सं0 110/2022

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	**दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर**	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
24/2/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 41/2022 दिनांक 19/08/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) बालचंद कांशी उम्र 57 वर्ष पिता स्व0 रमेश कांशी (2) दीपक कांशी पिता बालचंद कांशी (3) शशी कांशी पिता बालचंद कांशी तीनो ग्राम जकजोर थाना बसिया, जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) दीपक ओहदार उम्र 36 वर्ष पिता कामेश्वर ओहदार ग्राम कोनबीर थाना बसिया जिला गुमला के बीच झूठ केस में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी को लेकर विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :— उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2023.04.20 13:24:04 +05:30 Location: 192.168.123.239	